

# न्यायालय अति० जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मु०नं० 15/2017

तारीख रजु:- 22.11.2017

जगमोहन पुत्र बिरदयाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम मुहाना, पंचायत राजाहेडा तहसील नादौती जिला करौली

:- अपीलान्त

## बनाम

1. हाकिमसिंह पुत्र कैलाश जाति प्रजापत निवासी ग्राम मुहाना, पंचायत राजाहेडा तहसील नादौती जिला करौली
2. सचिव, ग्राम पंचायत राजाहेडा पंचायत समिति नादौती तहसील नादौती जिला करौली  
-रेस्पोडेन्ट

प्रार्थनापत्र निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 विरुद्ध पट्टा क्रमांक 1231 बुक नं. 25 दिनांक 05.07.2017 ग्राम पंचायत राजाहेडा पंचायत समिति नादौती तहसील नादौती

निर्णय

दिनांक 11.09.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानी गुजार ने पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियम 97 के तहत ग्राम पंचायत राजाहेडा पंचायत समिति नादौती के पट्टा संख्या 1230 दिनांक 05.07.2017 की निगरानी प्रस्तुत की गई है। जिसमें अनिगरानी गुजार संख्या 1 की ओर से एक प्रार्थना पत्र पेश कर बताया गया है कि पंचायत अधिनियम 1994 के तहत जो निगरानीकार ने निगरानी प्रस्तुत की गई है जिसमें मुताबिक पंचायत अधिनियम में पंचायत के किसी भी आदेश/निर्देश के विरुद्ध कानूनन पंचायत अधिनियम में अपील का प्रावधान है। न की निगरानी का उक्त अपील भी मुताबिक पंचायत अधिनियम के तहत पंचायत समिति की स्थाई समिति को कानूनन होती है। श्रीमान के न्यायालय में गलत पेश की गई है। जो कानूनन पोषणीय नहीं है। तथा श्रीमान को क्षेत्राधिकार प्राप्त भी नहीं है। अन्त में प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए इसी स्टेज पर खारिज करने का निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी/निगरानीगुजार ने प्रार्थनापत्र का कोई जवाब पेश नहीं कर सीधे ही बहस चाही गई है।

अभिभाषकगणों की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।


बकील प्रार्थी/अनिगरानीगुजार ने अपने बहस कथन में कहा की पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 97 के तहत निगरानी पेश की गई है जो पट्टे की है। पूर्व में पंचायत समिति की स्थाई समिति के समक्ष अपील होने पर उसके बाद निगरानी होगी सीधे ही निगरानी का प्रावधान नहीं है। नियम 166 के तहत पहले अपील होगी तथा नियम 154 के तहत आवादी भूमि का अंतरण किया गया है। बहा पर नियम 166 की अपील ही होगी। पट्टा

अप्रार्थी/निगरानीगुजार ने अपने बहस कथन मे कहा की प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण होना चाहिए जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा की सत्यता की जाच हो सके। पट्टे की अपील भी की जा सकती है। ओर निगरानी मे भी आ सकते है। इस सम्बंध में रूलिंग आर.एल.आर 1988 पार्ट II पेज 331 में स्पष्ट अंकित किया गया की जिला कलेक्टर ग्राम पंचायत के पट्टा की निगरानी सुन सकता है। यदि अपील पैण्डिंग नही है तो निगरानी भी सुनी जा सकती है। धारा 97 में यह कही नही है। कि जिला कलेक्टर निगरानी नही सुन सकता है। इनमें समस्त अधिकार समाहित है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर ग्राम पंचायत राजाहेडा पंचायत समिति नादौती ने यह पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 167(1) के तहत डी.एल.सी. राशि बसूल कर प्रारूप 23 में जारी किया गया है। जिसकी अपील किसी ने भी पंचायत समिति स्थाई कमेटी में नही की गई है धारा 154 की पुष्टि करता है। यहा पर इस प्रकरण में अधिकार की बात है बहा पर पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 61 के तहत ग्राम पंचायतो के आदेशो की अपील होगी जिसमें नियम 59 में अपील व पुनरीक्षण की परिभाषा दी हुई है। वकील निगरानी/अप्रार्थी द्वारा इस बावत कोई साक्ष्य आदि पेश नही किये गये है। जहा पर अपने बहस कथन में कहा की ग्राम पंचायत के पट्टे की निगरानी भी कर सकते है जिसकी ताहिद में रूलिंग आर.एल. आर. 1988 पार्ट II पेज 331 पेश की गई है वहाँ पर यह है कि यह पंचायत राज अधिनियम 1961 के प्रावधान में था वर्तमान मे पंचायत राज अधिनियम 1994 लागू हो गया है यह रूलिंग इस प्रकरण पर चस्पा नही होती है। पंचायत राज अधिनियमो के प्रावधानो के अनुसार सर्वप्रथम इस प्रकरण में ग्राम पंचायत के पट्टे की अपील की श्रेणी में आता है जिसे सुनने का अधिकार पंचायत समिति की स्थाई समिति को है। धारा 97 के नियम के अनुसार यह प्रकरण निगरानी की परिभाषा मे नही आता है। जो अपने आप में इस न्यायालय को श्रवणाधिकार नही है।

अतः अप्रार्थी/अनिगरानीगुजार नम्बर 1 का प्रार्थनापत्र वॉर्ड वाई लॉ होने पर स्वीकार किया जाता है। तथा निगरानीगुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी उनवानी जगमोहन बनाम हाकिमसिंह मु. नं. 15/17 ईसी स्टैज पर खारिज की जाती है। निगरानीगुजार सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने स्वतंत्र रहेगे। निर्णय की प्रति ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत राजाहेडा पंचायत समिति नादौती को उनकीपत्रावली के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

  
अति० जिला कलेक्टर  
करौली